''दलितों में वर्ग विभाजन एवं विकासः इलाहाबाद जिले के चयनित गाँवों का अध्ययन''

(Class Division among Dalits and Development: A Study of selected Villages of Allahabad District)

शोध-सारांश

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ की
समाजशास्त्र विषय में

डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY
LUCKNOW
प्रज्ञा शील करुणा
ESTABLISHED 1996

की उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध निर्देशक
आचार्य कामेश्वर चौधरी

शोधार्थी
अशोक कुमार सोनकर
(नामांकन सं0–379/17)

समाजशास्त्र विभाग
अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ, भारत

2022

सार-संक्षेप (Abstract)

दलितों में वर्ग विभाजन एवं विकासः इलाहाबाद जिले के चयनित गांवों का अध्ययन

प्रस्तुत अध्ययन दलितों में वर्ग विभाजन एवं विकास के विषय पर इलाहाबाद जिले के दो चयनित गांवों (नीबी एवं गन्ने) के दलित जातियों पर केन्द्रित है। इस अध्ययन में कुल पांच अध्याय हैं। प्रथम अध्याय 'प्रस्तावना' मे दलितों में वर्ग–विभाजन का मुद्दा, दलित संबंधी संवैधानिक प्रावधान एवं मुख्य विकास नीतियां एवं कार्यक्रम, दलित अभिजन का उद्भव, समस्या का कथन, साहित्य समीक्षा, अध्ययन के उद्देश्य एवं उपकल्पना, शुद्ध प्रणाली तथा निदर्श का विवरण दिया गया है। द्वितीय अध्याय में इलाहाबाद जिले की दो चयनित गांवों के दलितों में आर्थिक एवं सामाजिक आधार पर उभरते वर्गों का विश्लेषण किया गया है। तीसरे अध्याय में चयनित गांवों के दलितों के विभिन्न जातियों में सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों के लाभों के वितरण के स्वरूप का विवरण दिया गया है। चतुर्थ अध्याय में पिछड़े हुए दलितों के विकास में अवरोधक कारणों एवं पिछड़े हुए दलितों की विकास के लिए सुझाव का विश्लेषण है, जो चयनित गांव की दलित उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए हैं। अंतिम अध्याय में अध्ययन के मुख्य सारांश एवं निष्कर्ष दिए गए हैं।

समस्या का कथन

सदियों से भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था के कारण दलित वर्ग मानवीय अधिकारों से वंचित रहा है जिसके कारण समाज के अन्य वर्गों के समानांतर उसकी सामाजिक–आर्थिक राजनितिक स्थिति निम्न स्तर की रही है। भारतीय समाज की संरचना एवं मूल्यों में कुछ परिवर्तन अंग्रेजों के शासन काल में शुरू हुयी । भारत की स्वंत्रता के बाद समाज में व्याप्त भेदभाव ,शोषण ,कुरूतियों को भारतीय संवैधानिक प्रावधानों से रोकने की कोशिस की गयी। जाति व्यवस्था से उत्पन्न कुरुतिओं को कानून लागु कर प्रतिबंधित किया गया । इस प्रकार धीरे–धीरे दलितों की स्थिति में सुधार की प्रक्रिया चल पड़ी । कुछ विशेष

संवैधानिक प्रावधानों जैसे की आरक्षण व्यवस्था एवं विभिन्न विकास कार्यक्रमों से दलितों की स्थिति में सुधार होने लगा है।

अबतक दलितों पर किये गये कई अध्ययनों से यह ज्ञात होता है। साथ ही यह भी पता चलता है की दलित कल्याण एवं विकास की नीतियों का लाभ दलितों के बहुत छोटे भाग के लोगों को मिल पाया है। इस छोटे भाग को दलित अभिजन (dalit elite) या दलित मध्यम वर्ग कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ गिने–चुने दलितों ने अपनी मेहनत से पूंजीपति बनने में सफल रहे है जिन्हें 'दलित पूंजीपति 'कहा जाता है। इस तरह दलितों में वर्ग (आर्थिक) के आधार पर संस्तरण होने लगा है। इस सन्दर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायलय के द्वारा विकास प्रकिया में पिछड़ी हुई दलितों की अन्य जातियों को आरक्षण का लाभ मिले, इसको लेकर आरक्षण की नीतियों पर समय दर समय व्याख्या की जाती रही है और दलितों में भी 'क्रीमी लेयर'लागू हो, इस पर आपना विचार प्रस्तुत किया है। कई राज्य सरकारों द्वारा दलित 'आरक्षण समभाग' को लेकर नीतियों और समितियों के रूप में जीवन्त स्वरूप देने की कोशिश हो रही है ।

आरक्षण की मूल भावना दलितों–शोषितों को सामाजिक न्याय और अवसर प्रदान करना है, ताकि लोकतांत्रिक मूल्य सार्थक हो और राष्ट्र की विकास प्रक्रिया में प्रत्येक नागरिक की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। लेकिन अभी भी अधिकांश दलितों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति विशेषकर आर्थिक (वर्ग) रूप में समाज में सबसे निम्न बनी हुई है। यह ध्यान देना समीचीन होगा की पिछड़े हुए दलित वर्ग को विकास प्रक्रिया की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आरक्षण नीति में बदलाव और विशेष सरकारी कार्यक्रमों की आवश्कता है। अतः ऐसे गहन अध्ययन की जरुरत है जिससे दलितों में उभरते वर्ग–संरचना तथा उसके सामाजिक–आर्थिक, राजनितिक प्रभावों को ज्ञात किया जाय। यह स्पष्ट है की अधिकांश दलित अभी भी आर्थिक रूप से पिछड़ा–वर्ग की स्थिति में है। अतः उनके विकास के अवरोधक कारको को जानना आवश्यक है।

दलित जातियों के मध्य व्याप्त आर्थिक–शैक्षणिक असमानता है। सरकारी योजनाओं और संवैधानिक प्रावधानों से प्राप्त आरक्षण का लाभ समान स्तर से सभी अनुसूचित

जातियों को नहीं मिल पाया है किसी को अधिक मिला है तो किसी को कम और अन्य को कुछ भी नहीं मिला है। सरकारी योजनाओं–कार्यक्रमों व संवैधानिक आरक्षण का लाभ के अवसरों का दलितों के मध्य उभरे हुए उच्च वर्ग तक ही रह गया है, जो सरकारी योजनाओं–कार्यक्रमों व आरक्षण का लाभ, पीढ़ी–दर पीढ़ी उठा रहा है और पिछडा हुआ दलित वर्ग लाभ से वंचित हो रहा है। आज भारत में दलितों की स्थिति में सुधार के लिए जो कार्यक्रम और नीतियों का संचालन किया जाता रहा है उनमे बदलाव की आवश्यकता है ताकि पिछड़े हुए दलितों की स्थिति मे सुधार लाया जा सके। शोध अध्ययन के माध्यम से सरकारी योजनाओं–कार्यक्रमों व आरक्षण का लाभ कैसे पिछडे हुए दलित वर्गों को मिले इसके लिए सुछाव है। अतः यह शोध अध्ययन उत्तर–प्रदेश के सभी अनुसूचित जातियों के लिए और संभवतः भारत के सभी क्षेत्रों की अनुसूचित जातियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

अतः दलितों पर किये गए अध्ययनों से मुख्यतः कुछ बिन्दु उभरते हैः i) अधिकांश अध्ययनों में केवल, संवैधानिक प्रावधानों, सरकारी कार्यक्रमों, शिक्षा और रिजर्वेशन पर ही बात की गयी है। ii) सामाजिक–आर्थिक परिपेक्ष्य में सरकारी नीतियों का गहन मुल्यांकनात्मक अध्ययन नहीं किया गया है। iii) दलितों में 'मध्यम–वर्ग', दलित अभिजन, दलित पूंजीपति आदि की बात तो की गयी है लेकिन दलितों में 'निम्न वर्ग' की सामाजिक–आर्थिक प्रस्थिति के बारे में स्पष्ट अध्ययन नहीं किया गया है। iv) अतः समकालिक दलितों से सम्बंधित मुद्दे जैसे की दलितों में 'क्रीमीलेयर' और आरक्षण का समभाग (division) तथा पिछड़े दलित वर्ग के विकास के लिए विशेष प्रावधानों की आवश्कताओं पर गहन अध्ययन की आवश्यकता है।

अध्ययन के उद्देश्य

इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है:

i) दलितों में उभरते वर्ग विभाजन को ज्ञात करना,

ii) पिछड़े हुए दलितों के विकास में अवरोधक कारकों को ज्ञात करना, तथा

iii) पिछड़े हुए दलितों के विकास के लिए उपयुक्त तरीके एवं निति सम्बन्धी सुछाव देना।

अध्ययन की उपकल्पना

इस अध्ययन के उपकल्पना इस प्रकार है:

i) स्वत्रंता प्राप्ति के बाद दलितों के में बीच वर्ग-विभाजन का उद्‌भव हो रहा है;

ii) पिछड़े हुए दलित वर्ग में आर्थिक वंचना और शिक्षा के आभाव के कारण विकास नही हो रहा है; तथा

iii) पिछड़े हुए दलित वर्गों में संवैधानिक प्रावधानों, सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रति जगरूकता बढाकर उनका विकास कियाा जा सकता है।

इस अध्ययन में अवधाराणात्मक रूप से तीन शब्द प्रमुख हैं: दलित, वर्ग–विभाजन एवं विकास। वर्तमान में अनुसूचित जातियों में बढते हुए दलित अस्मिता के मुद्‌दे को ध्यान में रखते हुए, इस अध्ययन मे अनुसूचित जाति एवं दलित शब्दों को पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया गया है। वर्ग–विभाजन के संदर्भ में वर्ग की गैर–मार्क्सवादी (non-Marxist) अवधारणा को अपनाते हुए वर्ग–विभाजन का आधार आर्थिक (आय, पेशा, कृषि भूमि स्वामित्व, सम्पत्ति स्वामित्व, आदि) एवं शैक्षिक विषमता को लिया गया है। दलित विकास के सम्बंध में अनुसूचित जाातियों से सम्बंधित संवैधानिक प्रावधानों, सरकारी विकास नीतियों एवं कार्यक्रमों से है।

शोध प्रणाली

शोध प्रारूप और अध्ययन का समग्रः प्रस्तुत अध्ययन का शोध प्रारूप वर्णनात्मक है। अध्ययन के समग्र के रूप में उत्तर प्रदेश के इलाहबाद जिले के दो दलित बाहुल्य गांवों का चयन किया गया है। ये जनसंख्या के मामले में बडे गांव है जिनमे दलितों की विविध जातियां निवास करती है। और उन दलित जातियों के परिवारों में शैक्षणिक–आर्थिक आधार पर आसमानता व्याप्त है। इसमें एक नीबी गॉव है जो

मुख्य शहर इलाहबाद (सीविल लाइन) से 10 किलोमीटर दूर है और और आर्थिक–शैक्षणिक रूप से संपन्न और विकसित है। दूसरा गन्ने गॉव है जो मुख्य शहर (सीविल लाइन) से 80 किलोमीटर की दूरी है आर्थिक–शैक्षणिक रूप से अपेक्षाकृत पिछडा गॉव है।

निदर्शन तथा तथ्य संग्रहण प्रविधिः इस अध्ययन में निदर्श चयन में रेंडम स्तरीकृत निदर्शन प्रणाली का प्रयोग आर्थिक शैक्षणिक आधार पर दलित परिवारों का चयन किया गया है। इसमें इलाहाबाद जिले के नीबी गांव से 50 और गन्ने गांव से 70 उत्तरदाताओं का चयन किया गया। इस तरह दोनों गावों से कुल 120 परिवार अध्ययन प्रतिदर्श के रूप में शामिल किएं गएं है। अशिक्षित उत्तरदाताओं से साक्षत्कार अनुसूची और शिक्षित उत्तरदाताओं से प्रश्नावली द्वारा आँकड़े एकत्रित किये गये।

तथ्य संग्रहण के स्त्रोतः प्रस्तुत शोध में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के स्त्रोतों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक स्त्रोतों से तथ्यों के संग्रह हेतु अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाताओं के लिए प्रश्नावली/साक्षात्कार–सूची का प्रयोग किया गया है। इस अध्ययन में एकत्रित की गयी सूचनाओं में से परिमाणात्मक तथ्यों (quantitative data) को SPSS का प्रयोग कर विश्लेषण किया गया जिसे सारणी एवं कुछ आकृति द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

इस अध्ययन का सारांश एवं निष्कर्ष निम्नलिखित है –

वर्ग विभाजन

इस अध्ययन के लिए चयनित दो गांवों (नीबी एवं गन्ने) के विभिन्न दलित जातियों से प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण से पता चलता है कि **आय के आधार पर** रुपए 100,000 से अधिक पारिवारिक मासिक आय कुल 11 में से केवल 3 जातियों की कुछ परिवारों का है, जिसमें चमार 20%, धोबी 17%, तथा पासी 13% परिवार हैं। रुपए 50,000 से 100,000 मासिक पारिवारिक आय की श्रेणी में भी मुख्यतः 3 जातियों के परिवार ही हैं - पासी (32% परिवार), धोबी (24% परिवार) तथा चमार (8% परिवार)।

रुपए 10,000 से 20,000 मासिक आय वाले सबसे अधिक कोल (45%) तथा धैक्कर (40%) परिवार हैं। रुपए 20,000 से 50,000 मासिक आय वाले कोरी (33%) हैं तथा उनके 24% परिवारों की मासिक आय रुपए 50,000 से 100,000 है। रुपए 10,000 से कम मासिक आय वाले जातियों में सबसे अधिक कंजर (100% परिवार), नट (100% परिवार), मुसहर (100% परिवार), चमरमागता (100% परिवार), तथा बसोर जाति के परिवार हैं। गांव के आधार पर तुलना करने पर निबि गांव मे 46% दलित परिवारों की आय रुपए 50,000 से अधिक है जबकि गन्ने गांव में एक भी परिवार इतनी आय का नहीं है। गन्ने गांव के 70% से अधिक परिवारों की मासिक आय 5000 से 20,000 के बीच ही है।

परिवारिक वार्षिक आय की दृष्टि से 10 लाख से अधिक आय वाली जातियां केवल धोबी 18%, पासी 13%ए तथा चमार 12% हैं। 500,000 से 1000,000 की वार्षिक परिवारिक आए वाली केवल 4 जातियां हैं–धोबी 35%, चमार (28%), पासी 21% तथा कोरी 17%। इसकी तुलना में एक लाख से कम वार्षिक आय वाली मुख्य जातियां हैं कंजर (100%), नट, मुसहर, बसोर। रुपए 100,000 से 50,000 वार्षिक आय वाली मुख्य जातियां हैं कोल, धैक्कार, कोरी और चमरमागता। अतः अध्ययन में शामिल 11 दलित जातियां तीन वर्ग में बटी हुई है इनमें सबसे समृद्ध मुख्यतः तीन जातियां हैं– चमार, धोबी एवं पासी। आय के आधार पर सबसे निचले वर्ग में मुख्यतः 4 जातियां हैं कंजर, नट, मुसहर बसोर। आय के आधार पर दलितों में मध्यम स्तर में मुख्यतः तीन जातियां हैं– कोरी, कोल, धैक्कार। वार्षिक पारिवारिक आय के अनुसार चमरमांगता जाति भी दलितों की मध्य स्तर की श्रेणी में आती है।

कृषि भूमि के स्वामित्व के आधार पर अधिकतम भूमि 4 से 8 एकड़ केवल धोबी जाति के 6% परिवारों एवं चमार जाति के 4% परिवारों के पास उपलब्ध है। 2 से 4 एकड़ भूमि स्वामित्व भी समान रूप से 12% धोबी एवं चमार परिवारों के पास है। एक से 2 एकड़ भूमि स्वामित्व चमार जाति के 28% परिवारों एवं धोबी जाति के 24% परिवार तथा कोल जाति के 9% परिवारों के पास है। 1 एकड़ से कम कृषि भूमि 44% चमार, 47% धोबी, 40% बसोर के परिवारों के पास, तथा चमरमगत, कोल, धैक्कर एवं मुसहर जातियों में 25% से 33% परिवारों के पास है। मगर किसी भी कंजर एवं नट परिवारों के पास कृषि भूमि नहीं है। अतः पारिवारिक भूमिस्वामित्व

के हिसाब से चमार और धोबी जाति दलितों के उच्च वर्ग/स्तर में हैं। मध्यम वर्ग/स्तर में कोल, कोरी, बासोर जातियों के परिवार हैं। तथा सबसे निम्न स्तर पर कंजर, नट, मुसहर आदि हैं। गांव के आधार पर भू स्वामित्व नीबी गांव के दलित परिवारों की गन्ने गांव के दलित परिवारों से बेहतर है।

इस अध्ययन में **जाति के आधार पर खेती के लिए प्रयोग में आने वाली कीमती उपकरणों** के संबंध में यह तथ्य पाया गया है कि टैक्टर स्वामित्व का अनुपात धोबी, पासी एवं चमार जातियों की क्रमशः 18%, 13% तथा 12% परिवार हैं। इन जातियों के अतिरिक्त किसी भी जाति के पास खेती के लिए प्रयोग में आने वाले कीमती उपकरण, टैक्टर का स्वामित्व नही है। पावर टिलर केवल 6% पासी परिवारों के पास है। थ्रेसर स्वामित्व पासी, धोबी एवं चमार जातियों की क्रमशः 19%, 18% तथा 16% परिवार के पास हैं। हार्वेस्टर स्वामित्व का अनुपात धोबी, चमार एवं पासी जातियों में क्रमश 14%, 8% एवं 6% परिवारों में है। इन तीन जातियों के अतिरिक्त अन्य 8 जातियों में किसी के पास इन कृषि उपकरणों का स्वामित्व नही है। अतः इस दृष्टिकोण से केवल तीन जातियां यानी धोबी, चमार एवं पासी की स्थिति अन्य 8 जातियों से बेहतर है। गांव के आधार पर कृषि उपकरणों का स्वामित्व केवल नीबी गांव के दलितों का है । गन्ने गांव में इसकी स्थिति नगण्य सी है।

जाति के आधार पर परिवार में परिवहन के लिए उपलब्ध वाहनों के संबंध मे यह पाया गया है कि जीप/कार केवल पासी जाति के 42% चमार में 32%, धोबी में 24% तथा कोरी में 17% परिवारों में उपलब्ध है। मोटरसाइकिल/स्कूटर 94% धोबी परिवार, 85% पासी, 67% कोरी, 55% कोल, 60% चमरमांगता तथा 18% चमार परिवारों के पास है। धैक्कर, बसोर तथा मुसहर जाति के परिवारो के पास भी ये वाहन है। केवल कंजर एवं नट जाति के परिवारों के पास इनमें से कोई भी वाहन उपलब्ध नहीं है। हालांकि, साइकिल दलितों में सभी परिवारों में उपलब्ध है। गांव के आधार पर जीप/कार एवं स्कूटर गन्ने गांव में किसी भी दलित परिवार में नहीं है। वहां साइकल सभी परिवारों के पास है तथा मोटरसाइकिल करीब दलितों की आधी परिवारों (45%) के पास है। नीबी गांव में 42% दलितों के पास जीप/कार और 98% के पास मोटरसाइकिल स्कूटर है। अतः वाहनों के संबंध में नीबी गांव की स्थिति गन्ने गांव के दलितों की अपेक्षा बहुत ही बेहतर है।

जाति के आधार पर परिवार में उपलब्ध कीमती उपयोगी सामानों के संदर्भ में इस अध्ययन में पाया गया है कि ए.सी. केवल 26% पासी, 20% चमार तथा 18% धोबी परिवारों में उपलब्ध है। सोफा 52% चमार, 47% पासी, 24% धोबी परिवारों के पास है, जबकि और 2 जातियां कोरी एवं कोल की क्रमश 33% एवं 14% परिवारों के पास है। कंप्यूटर/लैपटॉप 37% पासी, 18% धोबी, 14% चमार और 17% कोरी जाति के परिवारों में है। टी.वी. चमार, धोबी एवं पासी जातियों के सभी परिवारों के पास है। कोल, कोरी एवं चमरमगता में आधे से अधिक परिवारों में टी.वी. है । कंजर एवं नट जातियों में किसी के पास टी.वी. नहीं है। गैस कनेक्शन सभी धोबी, 90% चमार तथा 58% पासी परिवारों के पास है। कंजर एवं नट जातियों में किसी के पास गैस कनेक्शन नहीं है। बाकी 6 जातियों की 30% से 50% परिवारों के पास गैस कनेक्शन है। मोबाइल फोन दलितों के सभी जातियों की सभी परिवारों के पास है। अतः कीमती घरेलू सामानों के स्वामित्व की दृष्टि से दलित जातियां मुख्यतः तीन वर्गों/स्तरों की हैं। सबसे बेहतर स्थिति चमार, पासी एवं धोबी जातियों की है। कंजर, नट, बसोर, मूसहर तथा चमरमगता सबसे निम्न वर्ग/स्तर में है। कोरी, कोल एवं धैक्कार मध्य स्थिति में हैं। गांव के संबंध में, नीबी गांव के दलित परिवार गन्ने गांव से बहुत ही बेहतर स्थिति में हैं।

जाति के आधार पर मुख्य परिवारिक पेशा के संबंध में यह तथ्य पाया गया है कि सरकारी नौकरी में पासी जाति के 79% परिवार, चमार जाति के 64% तथा धोबी जाति के 64% परिवार कार्यरत हैं। सरकारी नौकरी 33% कोरी एवं 5% कोल जाति के परिवारों का मुख्य पेशा है। कोरी, कोल, चमरमगता, मुसहर तथा धैक्कर जाति के कई परिवारों का मुख्य परिवारिक पेशा प्राइवेट नौकरी है। कंजर, नट एवं बसोर जाति के किसी भी परिवार का मुख्य पेशा नौकरी नहीं है। अतः परिवारिक मुख्य पेशा के आधार पर चमार एवं धोबी सबसे बेहतर स्थिति में है। कंजर, नट तथा बसोर जातियां सबसे निम्न स्थिति में है। तथा पासी, कोरी, कोल, चमरमगता, मुसहर जातियां मध्य स्थिति में है। पारिवारिक स्तर पर मुख्य पेशा नौकरी, विशेषकर सरकारी नौकरी की दृष्टि से नीबी गांव के दलितों की स्थिति गन्ने गांव की दलित जातियों से काफी बेहतर है।

जाति के आधार पर शैक्षिक स्थिति के संदर्भ में इस अध्ययन में प्राप्त तथ्य यह दर्शाते हैं कि कंजर एवं मुसहर जातियों में दो तिहाई परिवार (67%) अशिक्षित हैं। अशिक्षित परिवारों का अनुपात नट, धैक्कार, चमरमगता और कोल जाति में 30% के करीब है। इसके विपरीत चमार जाति के 64% परिवार ग्रेजुएट एवं इससे अधिक शिक्षित हैं। तथा ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट परिवारों का अनुपात पासी जाति में 63%, धोबी में 25%, और कोरी में 33% है। अशिक्षित, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा प्राप्त परिवारों का अनुपात धैक्कर में 60%, चमरमगता 50%, नट 63%, कोल 40%, बसोर 60% हैं। अतः शैक्षणिक स्तरीकरण की दृष्टि से चमार, धोबी एवं पासी जाति के परिवार सबसे बेहतर स्थिति मे है। इसके विपरीत मुसहर, कंजर, नट, बसोर आदि जातियों की स्थिति निम्न स्तर की है। तथा कोल, धैक्कार, कोरी जातियां मध्य में हैं। गांव के आधार पर, नीबी गांव के दलित परिवार गन्ने गांव की अपेक्षा बेहतर स्थिति में हैं। नीबी गांव में सभी दलित जातियां उच्च प्राथमिक स्तर और उससे अधिक शिक्षित हैं, मगर गन्ने गांव में 30% दलित परिवार अशिक्षित एवं करीब 25% परिवार प्राथमिक स्तर तक ही शिक्षित हैं।

सरकारी नौकरी में आरक्षण द्वारा लाभ सबसे अधिक 76% चमार, 65% धोबी तथा 64% पासी जाति के परिवारों को मिला है। इसके विपरीत कंजर, नट, बसोर, मुसहर, चमरमंगता तथा धैककार जाति के परिवारों में किसी को भी नौकरी पाने में आरक्षण का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। इसी तरह **उच्च शिक्षा में प्राप्त करने में सबसे अधिक आरक्षण का लाभ** 72% चमार, 71% धोबी, 69% पासी जाति के दलित परिवारों को मिला है। 33% कोरी जाति के परिवारों को उच्च शिक्षा में आरक्षण प्राप्त करने का लाभ मिला है। मगर बाकी 7 जातियों में किसी को भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है। साथ ही, चुनाव लड़ने में राजनीतिक आरक्षण का लाभ भी सबसे अधिक पासी, चमार, कोल जातियों को मिला है। कंजर, नट, बसोर और चमरमगता जातियों को इसका कोई लाभ नहीं मिला है। कोरी, कोल, धैक्कर एवं मुसहर इस संबंध में मध्य स्थिति में हैं। अतः आरक्षण से नौकरी प्राप्त करने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने तथा चुनाव लड़ने में अधिकतम लाभ चमार, धोबी एवं पासी जाति के परिवारों को मिला है। कंजर, नट,

मुसहर, बसोर और चमरमगता इस संदर्भ में सबसे निम्न स्थिति में है। कोल, कोरी और धैक्कर इस अर्थ में मध्य स्थिति में हैं।

सामाजिक रुप से मान्य वर्ग के संबंध में प्राप्त तथ्यों से यह पता चलता है कि पासी, धोबी, चमार एवं कोल जातियों को आधे या इससे अधिक उत्तरदाता दलितों में उच्च सामाजिक स्तर का मानते हैं। कंजर, नट एवं मुसहर जातियों को दलितों में सबसे निम्न स्तर का सभी उत्तरदाता मानते हैं। बसोर, चमरमगता धैक्कर का आदि जातियों को दलितों में मध्य सामाजिक स्तर का माना जाता है।

आगे इस अध्ययन से प्राप्त तथ्यों के अनुसार कंजर, नट, मुसहर, चमरमंगता, धैक्कार एवं बसोर जाति को दलितों के साथ हमेशा **अस्पृश्यता का व्यवहार** अन्य दलित जातियों के द्वारा किया जाता है। इसके विपरीत पासी, चमार एवं धोबी जाति के परिवारों से अस्पृश्यता का व्यवहार दलितों द्वारा नगण्य सा है। इस संदर्भ में कोल और कोरी जाति की स्थिति मध्य स्तर की है। साथ ही गांव के संदर्भ में यह पाया गया है कि नीबी गांव में अस्पृश्यता का व्यवहार दलितों में आपस में नगण्य सा (4%) है, मगर गन्ने गांव में यह अनुपात 77% है। **जाति के आधार पर दलितों में खानपान** के संबंध में यह तथ्य पाया गया है कि बिना किसी भेदभाव के सभी अवसरों पर खान पान अधिकांश चमार, धोबी एवं पासी जातियों के साथ सभी दलित करते हैं। अधिकांश कंजर तथा मुसहर जातियों के साथ दलितों में आपस में खानपान संबंधी भेदभाव किया जाता है। इस प्रकार दलितों में आपस में बिना भेदभाव के खानपान करने के संबंध में भी सामाजिक रूप से 3 श्रेणियों की जातियां पाई गई है। इनमें चमार, धोबी एवं पासी जातियों की स्थिति सबसे बेहतर तथा नट, कंजर, मुसहर जातियों की स्थिति सबसे निम्न है। मध्य स्थिति में मुख्यतः चमरमांगता, कोल, कोरी तथा धैक्कर जातियां हैं।

अंत में दोनों गांव के सभी 11 दलित जातियों की आर्थिक स्थिति की उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वे मुख्य रूप से तीन वर्गों/स्तरों में विभाजित हैं। सबसे बेहतर आर्थिक स्थिति चमार, पासी एवं धोबी जातियों की है। सबसे निम्न स्थिति कंजर, नट, मुसहर, बसोर जातियों की है। कोल और कोरी जातियां कुछ अर्थों में मध्य स्तर और कुछ अर्थों में निम्न स्तर की स्थिति में हैं। शैक्षिक स्थति एवं सामाजिक व्यवहारों के आधार पर भी 11 दलित जातियां मुख्यतः आर्थिक स्थिति के

समानान्तर तीन स्तरो ***(strata)*** *में विभाजित है। अतः इस अध्ययन में शामिल 11 दलित जातियां मुख्यतः तीन वर्गों/स्तरों में विभाजित हैं। जो अध्ययन की प्रथम उपकल्पना को सही साबित करती हैं।* गांव के आधार पर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से भी नीबी गांव के दलितों की स्थिति गन्ने गांव के दलितों की स्थिति से काफी बेहतर है।

सरकारी कार्यक्रमों का असमान लाभ

पूरा लाभ मिलना –

अध्ययन से प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण के अनुसार अनु0 जाति के विकास से संबंधित सरकारी कार्यक्रमों का पूरा लाभ चयनित गांवों के सभी अनु0 जातियों को बराबर रूप से नहीं मिल पाया है। वस्तुतः उत्तरदाताओं के अनुसार 11 अनु0 जाति विकास कार्यक्रमों में से इन सभी कार्यक्रमों का 'पूरा लाभ' केवल तीन जातियों (चमार, धोबी एवं पासी) को मिला है। इसके अतिरिक्त 8 कार्यक्रमों का 'पूरा लाभ' केवल दो जातियों (कोरी और कोल) के परिवारों को मिला है। सबसे कम केवल एक कार्यक्रम का पूरा लाभ केवल दो जातियों (कंजर तथा नट) के परिवारों को मिला है। धैक्कार जाति को छः कार्यक्रमों एवं बसोर तथा चमरमगता जातियों को 4 कार्यक्रमों का पूरा लाभ मिला है। मुसहर जाति के परिवारों को 5 कार्यक्रमों का पूरा लाभ मिला है। अतः ***सरकारी अनु0जाति विकास के 11 कार्यक्रमों का पूरा लाभ के वितरण के सम्बन्ध में अनु0 जातियों में मुख्यतः तीन से चार वर्ग दिखते है– i) सभी कार्यक्रमों का 'पूरा लाभ' चमार, धोबी एवं पासी जातियों को मिला है, ii) 6 से 8 कार्यक्रमों का 'पूरा लाभ' कोरी, कोल और धैक्कार जातियों को मिला है, iii) 4 से 5 कार्यक्रमों का 'पूरा लाभ' बसोर, चमरगता एवं मुसहर जातियों को तथा iv) केवल एक कार्यक्रम का 'पूरा लाभ' कंजर एवं नट जातियों को मिला है।***

आगे, तथ्यों से यह पता चलता है कि इन 11 अनु0जाति सम्बन्धी विकास कार्यक्रमों में से प्रत्येक कार्यक्रम के 'पूरा लाभ' का वितरण का स्वरूप समान नही है। जैसे मनरेगा कार्यक्रम का पूरा लाभ सभी 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार केवल

मुसहर जाति को मिला है। 70 से 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार इसका पूरा लाभ धोबी, पासी, कोरी, कोल, बसोर, धैक्कर जातियों को भी मिला है। सभी उत्तरदाताअें की राय में केवल दो जातियों (कंजर तथा नट) को इसका पूरा लाभ नहीं मिला है। मगर करीब आधे उत्तरदाताओं के अनुसार बाकी जातियों जैसे चमरमगता, चमार को भी इसका 'पूरा लाभ' मिला है। इसी तरह इंदिरा आवास योजना का 'पूरा लाभ' केवल तीन जातियों (कंजर, नट, बसोर) के अलावा अन्य सभी 8 जातियों को अधिक या कम मिला है। अन्त्योदय योजना का पूरा लाभ सभी 11 अनु0 जातियों के परिवारों को मिला है। किसान सम्मान निधि योजना का 'पूरा लाभ' कंजर, नट, बसोर एवं मुसहर के अतिरिक्त सभी जातियों को मिला है। पेंशन योजना का 'पूरा लाभ' केवल पांच जातियों (चमार, धोबी, पासी, कोल, कोरी) के परिवारों को ही मिला है। कौशल विकास योजना का पूरा लाभ केवल चमार, धोबी, पासी को मिला है। अनु0 जातियों के लिए अम्बेडकर छात्रावास योजना तथा फ्री कोचिंग योजना का पूरा लाभ भी केवल इन्हीं तीन जातियों के परिवारों को मिला है। अनु0जाति के लिए छात्रवृत्ति योजना का पूरा लाभ केवल कंजर एवं नट के अतिरिक्त सभी को मिला है। अनु0जाति के लिए भू–आवंटन योजना का पूरा लाभ केवल तीन जातियों (कंजर, नट, चमरमगता) के अतिरिक्त सभी को मिला है। अनु0जाति के लिए चलाए गये ऋण सुविधाओं का पूरा लाभ केवल पॉच जातियों (चमार, धोबी, पासी, कोरी एवं कोल) को मिला है।

गांव के आधार पर प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता लगता है कि उत्तरदाताओं के अनुसार नीबी गांव के परिवारों को सभी 11 अनु0जाति विकास कार्यक्रमों का 'पूरा लाभ' कम या अधिक मिला है। मगर, गन्ने गांव के अनु0जातियों को केवल 9 कार्यक्रमों का पूरा लाभ विभिन्न परिवारों को कम या अधिक मिला है। उन्हें अम्बेडकर आवास योजना तथा छात्रों के लिए फ्री कोचिंग योजना का पूरा लाभ नहीं मिला है। अतः पूरा लाभ प्राप्ति के हिसाब से नीबीं गांव की स्थिति गन्ने गांव से बेहतर दिखती है।

विभिन्न अनु0जातियों के मान्य सामाजिक स्तर के अनुसार अनु0जाति संबंधी सरकारी विकास कार्यक्रमों का पूरा लाभ सभी अनु0जातियों को बराबर नहीं मिल

पाया है। उत्तरदाताओं के अनुसार उच्च स्तर के अनु0जातियों को सभी 11 कार्यक्रमों का लाभ मिला है। मध्य स्तर के अनु0 जातियों को 11 में से 8 सरकारी विकास योजनाओं का लाभ मिला है। मगर, सामाजिक रूप से दलितों में निम्न (सामाजिक) स्तर के माने जाने वाले अनु0जातियों को सबसे कम केवल 5 कार्यक्रमों का ही पूरा लाभ मिल पाया है। जिन कार्यक्रमों का 'पूरा लाभ' उन्हें नहीं मिला है उसमें शामिल है– इंदिरा आवास योजना, कौशल विकास योजना, अम्बेडकर छात्रावास योजना, फ्री कोचिंग योजना, भू–आवंटन योजना एवं ऋण सुविधाएं। मध्य स्तर के अनु0जातियों को कौशल विकास योजना, अम्बेडकर छात्रावास योजना तथा छात्रों के लिए फ्री कोचिंग योजना का पूरा लाभ नहीं मिला है।

कुल पारिवारिक वार्षिक आय के अनुसार भी अनु0जाति संबंधी सरकारी विकास कार्यक्रमों का 'पूरा लाभ' भी सभी अनु0जातियों को बराबर नहीं मिला पाया है। सभी उत्तरदाताओं की राय में दस लाख से अधिक वार्षिक आय वाले अनु0 जातियों की अधिकांश यानि ग्यारह में से सात कार्यक्रमों पूरा लाभ मिला है। अन्य कार्यक्रमों का भी उन्हें आधे से अधिक उत्तरदाताओं की राय में पूरा लाभ मिला है। सभी उत्तरदाताओं की राय में 5 से 10 लाख रूपये वार्षिक पारिवारिक आय वाले अनु0 जातियों को भी 3 कार्यक्रमों का पूरा लाभ मिला हैं। दो–तिहाई उत्तरदाताओं की राय में उन्हें 6 कार्यक्रमों का पूरा लाभ मिला है और करीब आधे उत्तरदाताओं की राय में बाकी कार्यक्रमों का पूरा लाभ भी उन्हें मिला है। ढाई से 5 लाख वार्षिक पारिवारिक आय वाले अनु0 जातियों को भी उत्तरदाताओं की विभिन्न अनुपात में राय के अनुसार सभी कार्यक्रमों का लाभ मिला हैं।

इस तरह ढाई लाख रूपये से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय वाले सभी अनु0जाति के परिवारों को सभी कार्यक्रमों का पूरा लाभ मिला है। इसके विपरीत, रूपये 40 से 70 हजार आय वाले दलित जातियों के परिवारों को केवल दो कार्यक्रमों (मनरेगा तथा अन्त्योदय योजना) का पूरा लाभ मिला है। रूपये 70,000 से 1 लाख वार्षिक पारिवारिक आय वाले दलित जातियों को 5 विकास कार्यक्रमों का, तथा एक से ढ़ाई लाख रूपये वाले दलित जातियों के परिवारों को 7 कार्यक्रमों का पूरा लाभ मिला है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि ***सबसे अधिक आय वाले दलित परिवारों को***

सरकारी विकास कार्यक्रमों का सबसे अधिक 'पूरा लाभ' सबसे कम आय वाले दलित जातियों को सबसे कम 'पूरा लाभ' तथा मध्य स्तर के आय वाले दलित जातियों को मध्य स्तर का पूरा लाभ मिल पाया है।

उत्तरदाताओं की राय में, परिवार में अधिकतम शैक्षिक स्तर के आधार पर भी दलित जातियों में सबसे अधिक स्तर तक (जैसे ग्रेजुएट, पोस्ट–ग्रेजुएट) शिक्षित दलित परिवारों को सबसे अधिक संख्या में सरकारी विकास कार्यक्रमों का पूरा लाभ मिला है। इसके विपरीत सबसे कम शिक्षित या अशिक्षित दलित परिवारों को उत्तरदाताओं की राय में अपेक्षाकृत सबसे कम कार्यक्रमों का 'पूरा लाभ' मिल पाया है। इसी तरह, जिन दलित परिवारों का अधिकतम पारिवारिक शैक्षिक स्तर मध्यम स्तर (यानि, हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट) का है, उन्हें सबसे अधिक शिक्षित परिवारों से कम कार्यक्रमों तथा सबसे कम शिक्षित परिवारों से अधिक कार्यक्रमों का पूरा लाभ, उत्तरदाताओं की राय में, मिला है। ***इस तरह यह स्पष्ट होता है कि पारिवारिक शैक्षिक स्तर तथा विभिन्न सरकारी विकास कार्यक्रमों का 'पूरा लाभ' मिलने में एक रेखीय संबंध है।***

कोई लाभ नहीं मिलना –

गांव के आधार पर अनु0जाति संबंधी 11 सरकारी विकास कार्यक्रमों का **कोई लाभ नही** मिलने के संबंध में अपेक्षाकृत अधिक उत्तरदाताओं की राय है कि **गांव के आधार पर** नीबी गांव की तुलना में गन्ने गांव के दलित परिवारों को इन विभिन्न कार्यक्रमों का कोई लाभ नहीं मिला है।

मान्य सामाजिक स्तर के आधार पर विश्लेषण से पता चलता है कि सभी उत्तरदाताओं की राय में निम्न तथा मध्य मान्य सामाजिक स्तर वाले दलित परिवारों की तीन कार्यक्रमों का कोई लाभ नहीं मिला है, वे कार्यक्रम है– कौशल विकास योजना, अम्बेडकर छात्रावास योजना तथा छात्रों के लिए अम्बेडकर छात्रावास योजना। इसी तरह करीब 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि निम्न स्तर वाले दलित परिवारों का तीन और कार्यक्रमों का कोई लाभ नहीं मिला है– इंदिरा आवास योजना, भू–आवंटन योजना तथा ऋण संबंधी सुविधाएं। आधे से अधिक

उत्तरदाताओं के अनुसार निम्न (मान्य) सामाजिक स्तर वाले दलित परिवारों को छात्रवृत्ति योजना, किसान सम्मान निधि योजना तथा मनरेगा कार्यक्रमों का भी कोई लाभ नहीं मिला है। इससे भिन्न, मध्य स्तर के दलित परिवारों को करीब आधे उत्तरदाताओं की राय में पेंशन योजना तथा किसान सम्मान निधि योजना का कोई लाभ नहीं मिला है। मगर, आधे से अधिक उत्तरदाताओं के अनुसार फ्री कोचिंग योजना तथा कौशल विकास योजना का कोई लाभ उच्च स्तर वाले दलित परिवारों को भी मिला है। केवल 6 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार अन्त्योदय योजना का कोई लाभ निम्न मान्य सामाजिक स्तर वाले दलित परिवारों को नहीं मिला हे। अतः यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं के अनुसार निम्न मान्य सामाजिक स्तर वाले दलित परिवारों को अनु0जाति संबंधी कई विकास कार्यक्रमों का कोई लाभ नही मिला है। बहुत ही कम उत्तरदाता के अनुसार उच्च मान्य सामाजिक स्तर वाले दलित परिवारों को कुछ कार्यक्रमों का कोई लाभ नहीं मिला है। मध्य मान्य स्तर वाले दलित परिवारों की स्थिति इस संदर्भ मध्यम प्रकार की है।

वार्षिक पारिवारिक आय के आधार पर विश्लेषण के अनुसार सभी उत्तरदाताओं की राय है कि सबसे कम आय वाले (40 से 70 हजार रूपये तथा 70 हजार से 1 लाख रूपये) दलित परिवारों को 4 कार्यक्रमों का कोई लाभ नहीं मिला है– कौशल विकास योजना, अम्बेडकर छात्रावास योजना, फ्री कोचिंग योजना तथा ऋण योजना की सुविधाएं। इससे भिन्न, 10 लाख रूपये से अधिक तथा 5 लाख से 10 लाख रूपये वार्षिक आय वाले दलित परिवारों के बारे में किसी भी उत्तरदाता की राय में क्रमशः 6 तथा 5 ऐसे कार्यक्रम हैं जिनका लाभ उन्हें नहीं मिला हो– यानि इंदिरा आवास योजना, अन्त्योदय योजना, किसान सम्मान निधि योजना, पेंशन योजना, छात्रवृत्ति योजना तथा ऋण सुविधा योजना। 1 लाख से ढ़ाई लाख तथा ढ़ाई लाख रूपये से 5 लाख रूपये वार्षिक आय वाले दलित परिवारों की स्थिति सबसे अधिक आय वाले दलित परिवारों तथा सबसे कम आय वाले दलित परिवारों के बीच की हैं।

पारिवारिक उच्चतम शैक्षिक स्तर के आधार पर, सभी उत्तरदाताओं की राय के अनुसार, अशिक्षित से लेकर इंटर शिक्षा स्तर वाले दलित परिवारों को फ्री कोचिंग

योजना का कोई लाभ नहीं मिला है। साथ ही उनकी राय में अशिक्षित से हाईस्कूल शिक्षा स्तर वाले दलित परिवारों को कौशल विकास योजना का कोई लाभ नहीं मिला है। सभी उत्तरदाताओं की राय में अनु0जाति के लिए चलायी गयी ऋण योजना सुविधाओं का कोई लाभ अशिक्षित से उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर वाले दलित परिवारों को नहीं मिला है। किसी भी उत्तरदाताओं के अनुसार 6 से 7 कार्यक्रम ऐसे है जिनका कोई लाभ ग्रेजुएट, पोस्ट–ग्रेजुएट तथा प्रोफेशनल डिग्री वाले परिवार को न मिला हो वे योजनाएं है– अन्त्योदय योजना, किसान सम्मान निधि योजना, पेंशन योजना, छात्रवृत्ति योजना, भू–आवंटन योजना, इंदिरा आवास योजना, तथा ऋण सुविधाएं। इन्टर एवं हाईस्कूल स्तर वाले दलित परिवारों की स्थिति अधिक शिक्षित तथा कम शिक्षित परिवारों के मध्य में है।

निष्कर्षतः उत्तरदाताओं की राय के विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दलितों की तीन जातियों (चमार, पासी, धोबी) को सरकार द्वारा संचालित 11 विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं का सबसे अधिक 'पूरा लाभ' मिला है। सबसे कम योजनाओं का 'पूरा लाभ' मिलने वाली दलित जातियां कंजर एवं नट हैं। इस संबंध में बसोर, चमरमगता तथा मुसहर जातियों की स्थिति उनसे थोड़ी बेहतर है। सरकारी योजनाओं का 'पूरा लाभ' प्राप्त करने में अधिकांश उत्तरदाताओं के अनुसार मध्य में तीन जातियॉ है–कोरी, कोल एवं धैक्कर।

मान्य सामाजिक स्तर की दृष्टि से अधिकांश उत्तरदाताओं की राय में उच्च मान्य सामजिक स्तर वाले दलित परिवारों को सरकारी योजनाओं का सबसे अधिक लाभ *मिला हैं। निम्न मान्य सामाजिक स्तर वाले दलित परिवारों की स्थिति इस संबंध में सबके नीचे है। तथा मध्य मान्य सामाजिक स्तर वाले दलित परिवारों की स्थिति मध्यम स्थान की है।*

इसी तरह अधिकांश उत्तरदाताओं की राय में अधिक वार्षिक आय वाले दलित परिवारों को सरकारी योजनाओं का सबसे अधिक 'पूरा लाभ' मिला है। इसके विपरीत, कम वार्षिक आय वाले दलित परिवारों को सबसे कम योजनाओं का पूरा लाभ मिला है। तथा आय की दृष्टि से मध्य में आने वाले दलित परिवारों की स्थिति

इस संबंध में अधिक आय तथा कम आय वाले परिवारों के बीच की है। पारिवारिक उच्चतम शैक्षिक स्तर के संबंध में भी अधिकांश उत्तरदाताओं की राय में अधिक शिक्षित दलित परिवारों को सबसे अधिक योजनाओं का 'पूरा लाभ' मिला है, जबकि सबसे कम शिक्षित तथा अशिक्षित परिवारों को सबसे कम योजनाओं का लाभ मिल पाया है। शिक्षा में मध्यम स्थिति वाले दलित परिवारों की स्थिति इस संबंध में बीच–बीच की हैं

जाति के आधार पर सभी उत्तरदाताओं की राय में कंजर, नट, मुसहर तथा धैक्कर जातियों को अम्बेडकर छात्रावास योजना का कोई लाभ नहीं मिला हैं। कंजर एवं नट जातियों को इंदिरा आवास योजना तथा भू–आवंटन योजना का भी कोई लाभ नहीं मिला है। सभी उत्तरदाताओं के अनुसार कंजर, नट, बसोर तथा चमरमगता जातियों को किसान सम्मान निधि योजना का कोई लाभ नहीं मिला हैं। नट जाति को पेंशन योजना का भी कोई लाभ नहीं मिला हैं इसके विपरीत चमार, धोबी तथा पासी जातियों में कोई ऐसा परिवार नहीं जिसे अन्त्योंदय योजना का लाभ नहीं मिला हो। साथ ही चमार एवं धोबी जातियों में कोई ऐसा नहीं जिसे किसान सम्मान निधि का लाभ नही मिला हो। सभी उत्तरदाताओं के अनुसार मुसहर जाति को कौशल विकास योजना, अम्बेडकर छात्रावा योजना, फ्री कोचिंग योजना का कोई लाभ नहीं मिला हैं। कोल, कोरी एवं धैक्कर जातियों को केवल एक–एक कार्यक्रमों का कोई लाभ नहीं मिला है।

आगे उपरोक्त इंगित 11 सरकारी विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में अधिकांश उत्तरदाताओं की राय में कंजर एवं नट जातियों को अधिकांश अनु0जाति संबंधी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिला हैं। इसके विपरीत, चमार, पासी तथा धोबी जातियों के परिवारों को कोई योजना ऐसी नही जिसका उनको कोई लाभ नहीं मिला हो। इस संबंध में कोरी, बसोर एवं कोल जातियों की स्थिति कंजर एवं नट जाति की अपेक्षा थोड़ी बेहतर है। कोरी, कोल एवं धैक्कर जातियों की स्थिति इस संबंध में कंजर, नट, चमरमगता, बसोर तथा मुसहर जातियों से बेहतर है मगर चमार, धोबी तथा पासी जातियों से पीछे है।

मान्य सामाजिक स्तर (class/strata) के आधार पर अधिकांश उत्तरदाताओं के अनुसार निम्न सामाजिक स्तर के दलित परिवारों को सबसे अधिक योजनाओं/कार्यक्रमों का कोई लाभ नहीं मिला है। इसके विपरीत उच्च सामाजिक स्तर वाले दलित परिवारों को बहुत कम उत्तरदाताओं के अनुसार कुछ योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिला हैं। मध्य मान्य सामाजिक स्तर वाले दलित परिवारों की स्थिति इस संबंध में बीच–बीच की है। वार्षिक आय के आधार पर भी अधिकांश उत्तरदाताओं की राय में कम आय वाले दलित परिवारों को सबसे अधिक योजनाओं/कार्यक्रमों का कोई लाभ नहीं मिला है। इसके विपरीत, सबसे अधिक आय वाले दलित परिवारों को बहुत उत्तरदाताओं के अनुसार कुछ योजनाओं का कोई लाभ नही मिला है। मध्यम आय सीमा वाले दलितों परिवारों की स्थिति इस बारे में बीच–बीच की है। शिक्षा के आधार पर भी, बहुत कम उत्तरदाताओं के अनुसार, सबसे अधिक शिक्षित दलित परिवारों को सबसे कम योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिला है। इसके विपरीत अशिक्षित एवं कम शिक्षित दलित परिवारों को कई योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिला है। मध्यम स्तर की शिक्षा वाले दलित परिवारों की स्थिति इस संबंध में भी बीच–बीच की है।

दलितों में असामनता उत्पत्ति के कारण

मुख्य कारण –

अनुसूचित जातियों में धन व शिक्षा के आधार पर असमानता उत्पन्न होने के मुख्य कारण से संबंधित आंकड़ों का गांव के आधार पर विश्लेषण करने से पता चलता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं (क्रमशः 96% व 61.4%) के अनुसार सरकारी कार्यक्रमों के लाभ मिलने में असमानता या इन कार्यक्रमों के लाभ का असमान वितरण दलितों में असमानता उत्पत्ति के मुख्य कारण है। **गांव के आधार पर** तुलना से पता चलता है कि नीबी गांव के लगभग शत प्रतिशत (100%) उत्तरदाता, धन व शिक्षा के आधार पर असमानता उत्पन्न होने के मुख्य कारण सरकारी कार्यक्रमों के लाभ मिलने में असमानता या इन कार्यक्रमों के लाभ का असमान वितरण, को मुख्य कारण मानते है। जब की गन्ने गांव के उत्तरदाता अनुसूचित जातियों में आपस में

जाति भेद को भी दलित जातियों में असमानता उत्पन्न होने का मुख्य कारण मानते हैं।

जातिगत आधार पर विश्लेषण से पता चलता है कि अनुसूचित जाति के अन्तर्गत धन व शिक्षा के आधार पर असमानता उत्पन्न होने के मुख्य कारण के रूप में अधिकांशतः जातियाँ जैसे चमार, धोबी, कोल, पासी व कोरी (100%) का मानना है कि सरकारी कार्यक्रमों का असमान वितरण या कुछ जातियाँ को ज्यादा या कुछ को कम लाभ दलितों में जातिगत स्तर पर असमानता उत्पन्न होने का मुख्य कारण है। जबकि, जातिगत स्तर में सबसे निचले स्तर की समझी जाने वाली जातियों (जैसे, चमरमगता, धैक्कार, मुसहर, बसोर, कंजर व नट) द्वारा धन व शिक्षा के आधार पर असमानता उत्पन्न होने का मुख्य कारण आपसी जाति भेद को माना जाता है।

मान्य सामाजिक स्तर के आधार पर अनुसूचित जातियों के अन्तर्गत उच्च व मध्य समाजिक स्तर की समझी जाने वाली जातियों में शत प्रतिशत (100%) उत्तरदाताओं का मानना है कि सरकारी योजनाओं का असमान वितरण गरीब दलितों में पिछडेपन का मुख्य कारण है। वार्षिक आय के आधार पर 2.5 से 10 लाख तक कुछ पारिवारिक आय वाले उत्तरदाताओं का शत प्रतिशत (100%) का मानना है कि धन् व शिक्षा के आधार पर अनुसूचित जाति अंर्तगत असमानता उत्पन्न होने का मुख्य कारण सरकारी कार्यक्रमो/योजनाओ का आसमान वितरण है। जबकि 40 हजार से 1 लाख रूपये वार्षिक पारिवारिक आय वाले उत्तरदाता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत असमानता उत्पन्न होने का मुख्य कारण जातिभेद को मानते है।

उत्तरदाताओं के **परिवार के अधिकतम शैक्षिक स्तर के आधार पर** जिन जातियों के परिवारों का अधिकतम शैक्षिक स्तर हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल डिग्री है उनमें लगभग शत–प्रतिशत (100%) का मानना है कि सरकारी योजनाओं का असमान वितरण अनुसूचित जातियों में धन व शिक्षा के आधार पर आसमानता उत्पन्न होने का मुख्य कारण है। जबकि अशिक्षित व प्राथमिक स्तर की अधिकतम शैक्षिक स्तर के मामले में लगभग आधे से थोड़ा अधिक (52%) उत्तरदाता आपसी जाति भेद को असमानता का मुख्य कारण मानते हैं।

अनुसूचित जातियों में पिछड़ेपन (विकास न होने) के कारकों के सम्बंध में दोनों गांवों की सबसे अधिक उत्तरदाताओं (54.2%) का मानना है कि के कारण खेती न होना तथा 34% उत्तरदाताओं का मानना है कि सरकारी नौकरी न होना है। **जाति स्तर पर** गांव में गरीब अनुसूचित जातियों में पिछड़ेपन के कारणों के रूप में चमर मगता, कोल, बसोर, कजर, नट, पासी व कोरी जाति के अधिकांश (100%) उत्तरदाताओं का मानना है कि खेती न होना व अशिक्षित होना उनके पिछड़ेपन के कारणों में है। उत्तरदाताओं के **मान्य सामाजिक स्तर के आधार** पर सबसे अधिक (100%) मध्य मान्य सामाजिक स्तर की समझे आने वाली जातियों का मानना है कि आशिक्षित होना गरीब अनुसूचित जातियों में पिछड़ेपन का कारण है। **परिवार के वार्षिक आय** के **आधार** पर 2.5 लाख से 10 लाख रूपऐ आय वाले अधिकांशतः उत्तरदाताओं का (75%) मानना है कि खेती का न होना, अशिक्षित होना व नौकरी न होना गरीब अनुसूचित जाति के पिछड़ेपन के कारण है।

असमान जानकारी का स्तर

गांव के आधार पर **अनुसूचित जाति संबंधी संवैधानिक नियमों व प्रावधानों** के मामले में यह पाया गया है कि अधिकांशतः (73.3%) उत्तरदाताओं को किसी भी प्रावधान के बारे .संवैधानिक नियमों व प्रावधानों के बारे में कम जानकारी पाई गई है। **जाति के आधार पर** केवल चमार, धोबी, पासी व कोरी जाति को छोड़कर अन्य जातियों में अधिकांशतः (100%) उत्तरदाताओं को संवैधानिक नियमों व प्रावधानों के बारे में कोई जानकारी नहीं है या फिर पूरी जानकारी नहीं है। उच्च **मान्य सामाजिक स्तर** की समझी जाने वाली अनुसूचित जातियों में लगभग तीन-चौथाई (75%) उत्तरदाताओं का मानना है कि उनको समानता के अधिकार व संवैधानिक आरक्षण के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त है जबकि तीन चौथाई से थोड़ा कम (72%) उत्तरदाताओं का मानना है कि उन्हें किसी भी प्रकार की प्रावधानों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

वार्षिक परिवारिक आय के आधार पर, जिन परिवारों की वार्षिक आय 2.5 लाख से 10 लाख या उसके ऊपर पाई गई है उसमें से लगभग 50% का मानना है कि उन्हें समानता के अधिकार, संवैधानिक आरक्षण, अस्पृश्यता निवारण प्रावधान तथा शैक्षणिक आरक्षण के बारे में पूरी जानकारी है। जबकि निम्न आय वाले उत्तरदाताओं

के लगभग तीन चौथाई (73%) का मानना है कि उन्हें किसी भी प्रकार के संवैधानिक प्रावधान के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। **परिवारिक भूस्वामित्व के अनुसार**, 1 से 2 एकड़ स्वामित्व वाले लगभग आधे उत्तरदाताओं (50%) का मानना है कि उन्हें समानता के अधिकार, संवैधानिक आरक्षण तथा अन्य प्रावधानों के बारे में पूरी जानकारी है, वही 2 एकड़ से 8 एकड़ के भूस्वामित्व वाले परिवारों के 100% उत्तरदाताओं का मानना है कि उन्हें इन प्रावधानों के बारे में पूरी जानकारी है।

अधिकतम परिवारिक शैक्षिक स्तर के अनुसार, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तथा प्रोफेशनल डिग्री धारकों के लगभग 100% उत्तरदाताओं को इन विभिन्न प्रकार के प्रावधानों के बारे में को पूरी जानकारी है जबकि अशिक्षित, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व हाई स्कूल पास अधिकांश (73%) उत्तरदाताओं को इन प्रावधानों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है।

गांव के आधार पर **अनुसूचित जाति संबंधी नियमों व प्रावधानों के बारे में थोड़ी जानकारी** रखने वाले उत्तरदाता गन्ने गांव की अपेक्षा नीबी गांव में अधिक पाए गए हैं। **जाति आधार पर** चमार, धोबी, पासी व कोरी जाति को छोड़कर अधिकांश (100%) जातियों को अनुसूचित जाति संबंधी नियमों व प्रावधानों के बारे में थोड़ी जानकारी है। कुल **वार्षिक पारिवारिक आय के आधार पर** अनुसूचित जाति के 2.5 लाख से 10 लाख रूपऐ से ऊपर वार्षिक आय वाले परिवारों के लगभग 25% उत्तरदाताओं का मानना है कि को अनुसूचित जाति संबंधी नियमों व प्रावधानों का थोड़ी जानकारी प्राप्त है जबकि 40,000 से 10,0000 वार्षिक पारिवारिक आय के शत–प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उन्हें किसी भी प्रावधान के बारे में थोड़ी जानकारी नहीं है।

पारिवारिक भूस्वामित्व के आधार पर, **अनुसूचित जाति से संबंधित संवैधानिक नियमों व प्रावधानों** के मामले में जिन परिवारों के पास जमीन नहीं है उनमें 100% उत्तरदाताओं को इन प्रावधानों के बारे में थोड़ा जानकारी है, जबकि 2 एकड़ से 8 एकड़ के बीच भूस्वामित्व वाले लगभग आधे उत्तरदाताओं (50%) का मानना है उन्हें इन विभिन्न प्रकार के प्रावधानों के बारे में थोड़ी जानकारी है।

पारिवारिक अधिकतम शैक्षिक स्तर के आधार पर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तथा अन्य प्रोफेशनल डिग्री धारकों के 25% उत्तरदाताओं को समानता का अधिकार, 35% को संवैधानिक आरक्षण, 25% अस्पृश्यता निवारण अधिनियम तथा 45% को शैक्षणिक अधिकार के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त है। जबकि अशिक्षित, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक, हाई स्कूल तथा इंटर पास अधिकतम शैक्षणिक के मामले में अधिकांश 100% का मानना है कि उन्हें किसी भी प्रकार की प्रावधानों के बारे में थोड़ी जानकारी नहीं है।

जाति के आधार पर आधे से अधिक (68%) चमार, धोबी, पासी व कोरी जाति के उत्तरदाताओं को **एससी/एसटी एक्ट के बारे में पूरी जानकारी** है। जबकि कोल, धैक्कार, मूसहर और कंजर, नट जाति में शत–प्रतिशत (100%) उत्तरदाताओं को इन नियम या कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं है। **मान्य सामाजिक स्तर के अनुसार** मध्य व निम्न समझी जाने वाली अनुसूचित जातियों में शत–प्रतिशत (100%) उत्तरदाताओं का मानना है कि इन्हें एससी/एसटी एक्ट तथा अन्य नियमों या कानूनों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जबकि उच्च मान्य सामाजिक स्तर वाली जातियों में लगभग आधे उत्तरदाताओं (43%) को इन नियमों/कानूनों के बारे में पूरी जानकारी है। कुल **वार्षिक पारिवारिक आय के आधार पर**, 5 लाख से 10 लाख वार्षिक पारिवारिक आय वाले लगभग 100% उत्तरदाताओं को एससी/एसटी एक्ट तथा अन्य प्रकार के नियमों व कानूनों के बारे में पूरी जानकारी है। जबकि निम्न आय वाले परिवारों को इन कानूनों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। **पारिवारिक भू–स्वामित्व के अनुसार** 1 एकड़ से 8 एकड़ तक जमीन रखने वाले उत्तरदाताओं में अधिकांश (75%) को एससी/एसटी एक्ट के बारे में तथा अन्य नियमों व कानूनों के बारे में पूरी जानकारी हैं। जबकि जिन उत्तरदाताओं के पास जमीन नहीं है उनमें से अधिकांश (100%) को इन नियमों व कानूनों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है।

परिवार में उच्चतम शैक्षिक स्तर के अनुसार इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तथा प्रोफेशनल डिग्री धारकों में अधिकांश (100%) को एससी/एसटी एक्ट के बारे में तथा अन्य कानूनों के बारे में पूरी जानकारी है जबकि अशिक्षित व प्राथमिक, उच्च

प्राथमिक, हाई स्कूल पास अधिकतम शैक्षिक अस्तर वाले अधिकांश 100% उत्तर दाताओं को इन नियमों व कानूनों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है।

गांव के आधार पर, अनुसूचित जाति संबंधी एस.सी./एस.टी एक्ट अन्य नियमों/कानूनों जिनके बारे में **थोड़ी जानकारी** के मामले में नीबी गांव की अपेक्षा गन्ने गांव में बहुत ही कम (5.7%) उत्तरदाताओं को एससी/एसटी एक्ट तथा अन्य नियमों के बारे में थोड़ी जानकारी है, जबकि एससी एसटी एक्ट तथा अन्य नियमों/कानूनों के बारे में लगभग आधे (49.1%) को इसके बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं है।

जातिगत आधार पर चमार, धोबी, पासी व कोरी जाति को छोड़कर अन्य सभी सातों जातियों (जैसे चमरमंगता, कोल, धैक्कर, बासोर और कंजर व नट) में शत प्रतिशत (100%) उत्तरदाता एससी/एसटी एक्ट तथा अन्य नियमों/कानूनों के बारे में थोड़ी जानकारी रखने वाले पाए गए हैं। **मान्य सामाजिक स्तर के अनुसार** उच्च अनुसूचित जाति के अंतर्गत केवल 15.7% उत्तरदाताओं को एससी/एसटी एक्ट के बारे में थोड़ा जानकारी है, जबकि मध्यम व निम्न समझी जाने वाली जातियों में शत–प्रतिशत (100%) उत्तरदाताओं को इन नियमों व कानूनों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

कुल **पारिवारिक वार्षिक आय के अनुसार** अधिक वार्षिक आय वाले अधिकांश (लगभग 100%) उत्तरदाताओं को एससी/एसटी एक्ट तथा अन्य नियमों व कानूनों के बारें में थोड़ी जानकारी है जबकि निम्न वार्षिक आय वाले उत्तरदाताओं में अधिकांश उत्तरदाताओं को इन नियमों/कानूनों की थोड़ी भी जानकारी नहीं है। पारिवारिक **भू–स्वामित्व के आधार पर**, 1 एकड़ व 2 एकड़ जमीन रखने वाले उत्तरदाताओं में लगभग एक चौथाई (25%) को ही एससी/एसटी एक्ट तथा अन्य नियमों/कानूनों के बारे में थोड़ी जानकारी है, जबकि उनमें अधिकांश उत्तरदाताओं को इन नियमों व कानूनों के बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं है। अधिकतम पारिवारिक **शैक्षणिक स्तर के अनुसार**, अनुसूचित जाति संबंधी अन्य नियमों/कानूनों के बारे में अशिक्षित, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की शैक्षणिक स्तर वाले

उत्तरदाताओं में शत–प्रतिशत (100%) उत्तरदाताओं को एससी/एसटी एक्ट तथा अन्य नियमों व कानूनों के बारे में थोड़ी जानकारी भी नहीं प्राप्त है।

अनुसूचित जाति के विकास से संबंधित सरकारी कार्यक्रम या प्रोग्राम जिनके बारे में लगभग दो तिहाई से अधिक (80%) उत्तरदाताओं को मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, अंत्योदय योजना व किसान सम्मान निधि योजना के बारे में पूरी जानकारी है। वही लगभग आधे उत्तरदाताओं (50%) को पेंशन योजना के बारे में पूरी जानकारी है। जबकि रोजगार हेतु विकास कार्यक्रम, अंबेडकर छात्रावास योजना व अनुसूचित जाति हेतु फ्री कोचिंग योजना के बारे में लगभग एक तिहाई (33%) उत्तरदाताओं को पूरी जानकारी है। **जाति के आधार पर** चमार, धोबी, पासी व कोरी जाति को अनुसूचित जाति के विकास से संबंधित सरकारी कार्यक्रम/प्रोग्राम के मामले में, विभिन्न प्रकार की योजनाओं (जैसे मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, अंत्योदय योजना, किसान सम्मान निधि पेंशन योजना आदि) के बारे में पूरी जानकारी है, जबकि अन्य जातियों में इनका प्रतिशत बहुत ही कम है।

मान्य सामाजिक स्तर के आधार पर अनुसूचित जाति के विकास से संबंधित सरकारी कार्यक्रमों जिनके बारे में उच्च व मध्य स्तर की मान्य सामाजिक स्तर की समझी जाने वाली जातियों में लगभग तीन चौथाई उत्तरदाताओं को इन विभिन्न प्रकार की सरकारी कार्यक्रमों की पूरी जानकारी है, जबकि निम्न स्तर में किसी भी उत्तरदाता को इन विभिन्न प्रकार की योजनाओं/कार्यक्रमों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है।

इस सम्बन्ध में लगभग दो तिहाई से अधिक (80%) उत्तरदाताओं को मनरेगा, इन्दिरा आवास योजना, अन्योदय योजना, किसान सम्मान निधि योजना के बारे में पूरी जानकारी है। वहीं लगभग आधे उत्तरादाताओ को (50%) पेंशन योजना के बारे में पूरी जानकारी है। रोजगार हेतु विकास कार्यक्रम, अंबेडकर छात्रावास योजना अनुसूचित जाति छात्रों के लिए फ्री कोचिंग योजना के बारे में लगभग एक तिहाई (33%) उत्तरदाताओं को पूरी जानकारी है। उच्च व मध्य सामाजिक स्तर की समझी जाने वाली जातियों में लगभग एक चौथाई उत्तरदाताओं को केवल मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, अंत्योदय योजना व किसान सम्मान निधि के बारे में थोड़ा

जानकारी है।जबकि निम्न मान्य सामाजिक स्तर वाले किसी भी अनुसूचित जाति के उत्तरदाता को किसी भी प्रकार की सरकारी कार्यक्रमों के बारे में थोडी भी जानकारी नहीं है।

कुल वार्षिक पारिवारिक आय के आधार पर, 2.5 से 5 लाख रूपऐ वार्षिक आय वाले परिवारों के लगभग आधे से थोड़ा कम (48%) उत्तरदाताओं को केवल मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, अंत्योदय अन्न योजना व किसान सम्मान निधि के बारे में थोड़ी जानकारी है। जबकि निम्न वार्षिक पारिवारिक आय वालें किसी भी उतरदाता को किसी भी सरकारी कार्यक्रम के बारे में थोडी भी जानकारी नहीं है।

भूस्वामित्व के अनुसार, जिन उत्तर दाताओं के परिवार में जमीन नहीं है या फिर 1 एकड़ से कम जमीन पाई गई है उनका लगभग एक चौथाई 25% उत्तरदाताओं को केवल मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, अंत्योदय योजना, किसान सम्मान निधि के बारे में थोड़ा जानकारी है। जबकि अधिकतम भूस्वामित्व रखने वाले उत्तरदाताओं में थोड़ी जानकारी के मामले में कोई भी उत्तर दाता नहीं पाया गया हैं।

अधिकतम पारिवारिक शैक्षिक स्तर के अनुसार, अशिक्षित व प्राथमिक स्तर की पारिवारिक अधिकतम शैक्षिक स्तर के उत्तरदाताओं को किसी भी प्रकार की सरकारी कार्यक्रमों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जबकि उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल व इंटर पास शैक्षिक स्तर के लगभग एक तिहाई से थोड़ा अधिक (35%) उत्तरदाताओं को विभिन्न प्रकार के सरकारी कार्यक्रमों में थोड़ी जानकारी प्राप्त है।

जाति के आधार पर अधिकांश (75%) चमार, धोबी, पासी व कोरी जाति को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओ (जैसे मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, अंत्योदय योजना, किसान सम्मान निधि, पेशन आदि) के बारे में पूरी जानकारी है, जबकि अन्य जातियों में इनका प्रतिशत बहुत ही कम पाया गया है।

मान्य सामाजिक स्तर के आधार पर, लगभग तीन चौथाई (75%) उच्च व मध्यम स्तर की समझी जाने वाली जातियों के उत्तरदाताओं को इन विभिन्न प्रकार की सरकारी कार्यक्रमों की पूरी जानकारी है, जबकि निम्न मान्य सामाजिक स्तर के कोई भी उत्तरदाता को इन विभिन्न प्रकार की योजनाओ/कार्यक्रमों के बारे में पूरी जानकारी नही है।

वार्षिक पारिवारिक आय के आधार पर, 5 लाख से 10 लाख रूपऐ वार्षिक आय वाले परिवारों के उत्तरदाताओं की लगभग शत प्रतिशत (100%) उत्तरदाताओं को सरकारी कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी है। जबकि 1 से 2.5 लाख रूपऐ तक आय वाले उत्तरदाताओं के लगभग दो तिहाई (67.7%) भाग को पूरी जानकारी है, तथा निम्न आय के उत्तरदातायों के लगभग एक तिहाई (33.7%) को विभिन्न प्रकार के सरकारी कार्यक्रमों की पूरी जानकारी है।

पारिवारिक भूस्वामित्व के आधार पर, एक एकड़ से दो एकड़, 2 से 4 एकड़ या 4 से 8 एकड़ जमीन वाले लगभग शत प्रतिशत (100%) उत्तरदाताओं को सरकारी कार्यक्रमों की पूरी जानकारी प्राप्त है, जबकि एक एकड़ से कम जमीन रखने वाले उत्तरदाताओ के लगभग आधा (50%) भाग को विभिन्न प्रकार की सरकारी कार्यक्रमों की पूरी जानकारी प्राप्त हैं।

परिवार में उच्चतम शैक्षिक स्तर के आधार पर, अधिकतम पारिवारिक शैक्षिक स्तर (ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन व अन्य प्रोफेशनल डिग्री) वाले शत प्रतिशत (100%) उत्तरदाताओं को सरकारी विकास कार्यक्रमों की पूरी जानकारी है। जब कि प्राथमिक व उच्च प्राथमिक अधिकतम शैक्षिक स्तर उत्तरदाताओं के परिवार में किसी भी उत्तरदाताओं को पूरी जानकारी नहीं है।

अनुसूचित जाति से सम्बंधित सरकारी कार्यक्रमो/प्रोग्रामों के बारे में उत्तरदाता को लगभग 10% 'उत्तरदाताओं को विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं (जैसे मनरेगा, इन्दिरा आवास योजना, अन्त्योदय अन्न योजना) की थोडी जानकारी प्राप्त है। गांव के आधार पर विश्लेषण करने पर पता चलता है कि नीबी गाव की अपेक्षा गन्ने गांव में विभिन्न प्रकार की विकास कार्यक्रमों के बारें में थोड़ी जानकारी रखने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत अधिक है।

जाति के आधार पर, चमार, धोबी, कोल मुसहर, पासी व कोरी जातियों को मनरेगा, अंत्योदय, किसान सम्मान निधि योजना के बारे में लगभग एक चौथाई (25%) उत्तरदाताओ को थोड़ी जानकारी है। जबकि चमरमंगता, कंजर, नट जातियों में विभिन्न प्रकार की सरकारी कार्यक्रमों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

मान्य सामाजिक स्तर के आधार पर, उच्च व मध्य सामाजिक स्तर की समझी जाने वाली जातियों में लगभग एक चौथाई (25%) उत्तरदाताओं को मनरेगा, इंदिरा

आवास योजना, अंत्योदय योजना व किसान सम्मान निधि के बारे में थोड़ा जानकारी है। जबकि निम्न मान्य सामाजिक स्तर वाले अनुसूचित जाति के उत्तरदाता को किसी भी प्रकार की सरकारी कार्यक्रमों के बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं है।

कुल वार्षिक पारिवारिक आय के अनुसार, 2.5 से 5 लाख वार्षिक आय वाले आधे से थोड़ा कम (48%) उत्तरदाताओं को मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, अंत्योदय अन्न योजना व किसान सम्मान निधि के बारे में थोड़ी जानकारी है। जबकि निम्न वार्षिक पारिवारिक आय वाले किसी भी उत्तरदाता को किसी भी सरकारी कार्यक्रम के बारे में थोड़ी जानकारी नहीं है।

पारिवारिक भू स्वामित्व के आधार पर, परिवार में जमीन नहीं या फिर 1 एकड़ से कम जमीन वाले लगभग एक चौथाई (25%) उत्तरदाताओं को केवल मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, अंत्योदय योजना, किसान सम्मान निधि के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त है। जबकि अधिकतम भूस्वामित्व रखने वाले उत्तरदाताओं में थोड़ी जानकारी वाले वाले कोई भी उत्तरदाता नहीं हैं।

अधिकतम पारिवारिक शैक्षिक स्तर के आधार पर, अशिक्षित व प्राथमिक स्तर की शैक्षिक स्तर के उत्तरदाताओं को किसी भी प्रकार की सरकारी कार्यक्रमों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जबकि उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल व इंटर पास अधिकतम शैक्षिक स्तर वालों में एक तिहाई से थोड़ा अधिक (35%) उत्तरदाताओं को विभिन्न प्रकार के सरकारी कार्यक्रमों में थोड़ी जानकारी प्राप्त है। वही उच्चतम शैक्षिक स्तर वाले उत्तरदाताअें में कोई भी ऐसा नही जिसे इन योजनाओं के बारे में थोड़ी जानकारी है।

उपरोक्त विश्लेष्ण के आधार पर कहा जा सकता है कि दलित जातियों में आर्थिक एवं शैक्षणिक असमानता के उत्पन्न होने तथा दलितों मे कई जातियों में अपेक्षाकृत अधिक गरीबी एवं पिछडेपन (विकास नहीं होने) के कई कारण हैं, जैसे– कृषि के लिए जमीन न होना, शिक्षा में काफी पिछडा होना तथा अशिक्षित होना, आरक्षण नीति का लाभ नहीं मिलना या बहुत ही कम मिलना, विभिन्न सरकारी नीतियों एवं योजनाओं का लाभ नहीं मिलना या बहुत ही कम मिलना, अनुसूचित सम्बंधी विकास

*एवं कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों के बारे में जानकारी नही होना या बहुत ही कम होना, व्यवसाय करने के लिए धन नही होना या काफी कम होना, एवं दलित जातियों में ही सोच एवं व्यवहार में उनके प्रति जाति के आधार पर भेदभाव पर करना। मगर, अध्ययन के लिए चयनित विभिन्न दलित जातियों के उत्तरदाताओं की राय में गरीब एवं पिछडे दलित जातियों के पिछडेपन (विकास नहीं के) के लिए उपरोक्त में से दो मुख्य कारण हैं–**i)** खेती करने के लिए जमीन नहीं होना, तथा **ii)** दलित जातियों में जाति के आधार पर आपसी भेदभाव करना। अतः इस आलोक में अध्ययन की दूसरी उपकल्पना आशिंक रूप से सही साबित होती है।*

गरीब/पिछड़े दलित जातियों के विकास हेतु सुझाव

गरीब व पिछड़े अनुसूचित जातियों के विकास के लिए सबसे अधिक (58%) उत्तरदाताओं का सुझाव है कि गरीब पिछड़े दलितों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए खेती के लिए जमीन मिले। उसके बाद 25% उत्तरदाताओं का सुझाव है कि है कि उन्हें शिक्षा के लिए सरकारी अनुदान प्राप्त हो।

जाति के आधार पर गरीब व पिछड़े दलितों के विकास के लिए विभिन्न दलितों के उत्तरदाताओं द्वारा सुझाव में कोई एकमतता नहीं मिली है। कुछ जातियों जैसे चमार, धोबी, चमरमंगता, कोल, कंजर, नट का सुझाव है कि पिछड़े दलितों को खेती के लिए जमीन मिले। पासी व कोरी जातियों का मानना है कि पिछड़े दलितों को शिक्षा के लिए सरकारी अनुदान प्राप्त हो। कुछ जातियों का मानना है कि उन्हें व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त हो। कुछ जातियों का सुझाव है कि उन्हें सरकारी नौकरी मिले तथा खेती के लिए जमीन भी उपलब्ध कराई जाए उसके बाद ही गरीब एवं पिछड़े दलितों का विकास संभव होगा। **मान्य सामाजिक स्तर के अनुसार,** मध्य व निम्न मान्य सामाजिक स्तर की समझी जाने वाली जातियों में अधिकांशतः (64%) का सुझाव है कि गरीब एवं पिछड़े दलितों को खेती के लिए जमीन प्राप्त हो। **कुल वार्षिक पारिवारिक आय के अनुसार** लगभग आधे उत्तरदाताओं (50%) का सुझाव है कि उन्हें खेती के लिए जमीन उपलब्ध कराया जाए। उसके बाद क्रमशः एक तिहाई उत्तरदाताओं (33%) का सुझाव है कि उन्हें शिक्षा के लिए अनुदान

उपलब्ध कराया जाए, व्यवसाय के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाए तथा सरकारी नौकरी की व्यवस्था की जाए।

परिवार में अधिकतम शैक्षिक स्तर के अनुसार, ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट स्तर वाले अधिकतम (50%) उत्तरदाताओं का सुझाव है कि गरीब एवं पिछड़े दलितों को खेती के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाए तथा नौकरी की व्यवस्था की जाए तभी उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकेगा। अशिक्षित तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर वाले सभी (100%) उत्तरदाताओं का सुझाव है कि गरीब दलित जातियों के विकास के लिए उन्हें खेती के लिए जमीन मिले। इंटर से अधिक शिक्षा स्तर वाले करीब आधे (50%) उत्तर दाताओं का सुझाव है कि गरीब एवं पिछड़े दलित जातियों को विकास के लिए शिक्षा के लिए सरकारी अनुदान दिया जाए । मगर उच्च प्राथमिक से कम तथा अशिक्षित सभी उत्तरदाताओं (100%) में किसी ने शिक्षा अनुदान के लिए सुझाव नहीं दिया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ***इस अध्ययन की तीसरी उपकल्पना पिछड़े हुए दलितों में संवैधानिक प्रावधानों सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता बढ़ाकर उनका विकास किया जा सकता है सही साबित नहीं होती है*** क्योंकि किसी भी उत्तरदाता ने गरीब एवं पिछड़े दलितों के विकास के लिए उनमें जागरूकता बढ़ाने का सुझाव नहीं दिया है।

मगर इस संदर्भ में यह समझना आवश्यक है की आय के अनुसार गरीब, मान्य सामाजिक स्तर में नीचे, तथा अशिक्षित या कम शिक्षित दलित जातियों को सरकारी विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों का लाभ अधिक आय वाले, अधिक शिक्षित, तथा उच्च तथा मध्य मान्य सामाजिक स्तर वाली दलित जातियों से अपेक्षाकृत काफी कम या नहीं मिला है। इस अध्ययन में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अधिकांश उत्तरदाताओं (75%) की राय में सरकारी नीतियों एवं योजनाओं/कार्यक्रमों के लाभ मिलने में असमानता, दलितों में असमानता उत्पन्न होने का मुख्य कारण है। साथ ही करीब 25% उत्तरदाताओं के अनुसार अनुसूचित जातियों में आपस में जातिभेद उनके धन एवं शिक्षा के आधार पर असमानता उत्पन्न होने का मुख्य कारण है। इस अध्ययन से यह भी पता चलता है कि गरीब एवं पिछड़े दलित

जातियों में दलितों से संबंधित विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों, सरकारी नीतियों तथा विकास एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में कम जानकारी या कोई जानकारी नहीं है।

अतः, अंत में इस अध्ययन के आधार पर गरीब एवं पिछड़े दलित जातियों के विकास के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं।

i) भूमि सुधार कानूनों को बेहतर बनाकर तथा उन्हें पूरी तरह लागू करके तथा वर्तमान में सरकार के पास उपलब्ध कृषि योग्य भूमि उन्हें अतिशीघ्र दी जानी चाहिए।

ii) उनके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए यथाशीघ्र समुचित व्यवस्था की दी जानी चाहिए।

iii) व्यवसाय शुरू करने के लिए उन्हें समुचित व्यवस्था सरकार द्वारा की दी जानी चाहिए।

iv) शिक्षा एवं नौकरी में लागू आरक्षण का समुचित एवं न्यायपूर्ण लाभ उन्हें यथाशीघ्र सुनिश्चित की दी जानी चाहिए। इस संबंध में सभी दलित जातियों के लिए आरक्षण के लाभ को निजी सेक्टर में भी देकर उनके लिए अवसर बढ़ाई जानी चाहिए। साथ ही, गरीब तथा पिछड़े दलितों के लिए ''आरक्षण में आरक्षण'' प्रदान कर उनके विकास के अवसरों को बढ़ाई जानी चाहिए।

v) विशेषकर अनुसूचित जाति संबंधी सभी संवैधानिक प्रावधानों, सरकारी नीतियों तथा विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों के बारे में पूरी जानकारी उन्हें यथाशीघ्र दी जानी चाहिए।